भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 415
दिनांक 04.02.2020/ 15 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

तेजाब हमलों की घटनाएं

†415. श्री डी॰ एन॰ वी॰ सेंथिलकुमार एस॰:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटीलः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महिलाओं पर तेजाब फेंकने की घटनाओं को रोकने के लिए मौजूदा प्रणाली अक्षम है और इसके परिणामस्वरूप सरकार उक्त घटनाओं की जांच करने में लक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ख) भारतीय चिकित्सा संहिता की धारा 166ख के अनुसार सरकारी और निजी अस्पतालों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्राप्त करने वाले तेजाब हमले से पीड़ितों की अस्पताल-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस धारा के सम्मिलित होने के बाद से, उक्त धारा के उल्लंघन के मामले सरकार के संज्ञान में आए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को सरकारी संस्थानों/विभागों में रोजगार प्रदान किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान तेजाब हमले के पीड़ितों द्वारा सूचित किए गए कार्य/वेतन से संबंधित भेदभाव के मामलों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए हैं और यदि हां, तो ऐसे पीडितों की मदद करने के लिए कार्य करने वाले पुनर्वास केंद्रों की कुल संख्या कितनी है और देश में पुनर्वास केंद्रों की राज्य-वार संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा देश में तेजाब हमलों को रोकने के लिए तेजाब की बिक्री के लिए सख्त विनियमन लागू करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों के जान और माल की सुरक्षा की जिम्मेदारियां संबंधित राज्य सरकारों की हैं। राज्य सरकारें कानून के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

तथापि, गृह मंत्रालय ने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को कार्यान्वित करने, तेजाब से हमले के मामलों पर कार्रवाई में तेजी लाने तथा पीड़ितों को उपचार एवं मुआवजा प्रदान करने हेतु कदम उठाने के बारे में दिनांक 20 अप्रैल, 2015 को व्यापक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी www.mha.gov.in पर उपलब्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी दिनांक 20 मई, 2015 को यह उल्लेख करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी अस्पताल, सार्वजनिक अथवा निजी, किसी भी तेजाब हमले के पीड़ित का उपचार करने से मना नहीं करेगा।

(ख) से (ङ): इस प्रकार का कोई आंकड़ा केंद्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

(च): भारत सरकार "वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)" और "महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) के सार्वभौमीकरण" स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। ओएससी का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक स्थान पर समेकित सेवाएं जैसे कि पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक काउंसलिंग, अस्थायी आश्रय इत्यादि प्रदान करना है। "महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमीकरण" स्कीम शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से सार्वजनिक और निजी दोनों ही स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को, उन्हें उपयुक्त विभागों जैसे पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, कानूनी सेवाओं इत्यादि से जोड़ते हुए 24 घंटे आपात और गैर-आपात सहायता उपलब्ध कराती है। डब्ल्यूएचएल देशभर में महिला कल्याण स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करने के अलावा संकटग्रस्त महिलाओं को राहत वैन और काउंसलिंग सेवाओं के जरिए भी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तेजाब हमले के पीड़ितों सहित कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए स्वाधार गृह स्कीम का भी संचालन कर रहा है।

(छ) : गृह मंत्रालय ने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तेजाब की बिक्री को विनियमित करने के लिए आदर्श विष नियम अधिसूचित करने के संबंध में दिनांक 30 अगस्त, 2013 को इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया है। इस एडवाइजरी का ब्यौरा www.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 166ख (दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357ग के साथ पठित) के अनुसार, कोई भी अस्पताल, सार्वजनिक या निजी, किसी भी बहाने से तेजाब के हमले के पीड़ित का उपचार करने से मना नहीं करेगा और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दोषी अस्पताल/क्लिनिक को एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357ग में भी यह प्रावधान किया गया है कि तेजाब से हमले के पीड़ितों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क में यह प्रावधान किया गया है कि पीड़ितों को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357ख में यह प्रावधान भी किया गया है कि धारा 357क के अंतर्गत देय मुआवजा पीड़ित को जुर्माने के भुगतान के अतिरिक्त होगा।

इसके अतिरिक्त, रिट याचिका (सी) 565/2012-निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.05.2018 के आदेश के अनुसरण में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने यौन हमले/अन्य अपराधों की महिला पीड़ितों/इसमें जीवित बचने वालों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करते हुए संशोधित स्कीम तैयार की है। इस स्कीम में तेजाब हमलों के मामले भी शामिल हैं। यह स्कीम दिनांक 18.05.2018 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा तथा पुनः दिनांक 28.06.2018 को गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुपालन हेतु परिचालित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, तेजाब हमले के पीड़ितों को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 08.10.2016 से प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत मुआवजे के रूप में एक लाख रु. भी प्रदान किए जा रहे हैं।

******